

सेवा में,
श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,
छबड़ा (राज.)
विषय - अधिसूचना अनुसार बैंक का नाम परिवर्तित किया जाने बाबत

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में निवेदन है कि भारत सरकार द्वारा फरवरी 2017 को जारी अधिसूचना के अनुसार

ऑफ वीकानेर एण्ड जयपुर का विलय भारतीय स्टेट बैंक में किया गया है।
अधिसूचना के अनुसार मैं प्रार्थी पटवारी पिता जगन्नाथ के नाम पटवार मण्डल-
रानाहेडी के राजस्व ग्राम राज. ग्रामीण बैंक में वर्तमान स्टेशन जमाबन्दी के खाता संख्या 90
पर स्टेट बैंक ऑफ वीकानेर एण्ड जयपुर शाखा छबड़ा में नाम रहन दर्ज रेकॉर्ड है, जिसे अधिसूचना
अनुसार भन्सीध स्टेट बैंक शाखा छबड़ा में नाम रहन दर्ज रेकॉर्ड में कृपा करवाये।
राज. ग्रामीण बैंक छबड़ा
हस्ताक्षर प्रार्थी पटवारी

दिनांक 4/10/2025

रिपोर्ट पटवार हल्का रानाहेडी तहसील छबड़ा (राज.)

महोदय,

भारत सरकार द्वारा फरवरी 2017 को जारी अधिसूचना के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ वीकानेर एण्ड जयपुर का विलय भारतीय स्टेट बैंक में कर दिये जाने से प्रस्तावित संशोधन किया जाना उचित है।

भू-अभिलेख निरीक्षक

पटवार हल्का रानाहेडी

कार्यालय तहसीलदार छबड़ा जिला बारां (राज.)

क्रमांक: राजस्व/2025/

दिनांक / / 2025

मूल ही प्रार्थना पत्र श्रीमान् शिविर प्रभारी महोदय को प्रेषित कर निवेदन है कि रिपोर्ट पटवारी एवं भू-अभिलेख निरीक्षण अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में स्टेट बैंक ऑफ वीकानेर एण्ड जयपुर के बजाय भारतीय स्टेट बैंक दिया जाना उचित है।

तहसीलदार (भू.अ.)
जिला बारां (राज.)
तहसील छबड़ा जिला बारां (राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (राज.)

दिनांक 6.10.25 / / 2025

क्रमांक: राजस्व/2025/334/25

हस्त रिपोर्ट तहसीलदार छबड़ा के राजस्व रेकॉर्ड में संशोधन की स्वीकृति दी जाती है। पटवारी हल्का रानाहेडी
राजस्व रिकॉर्ड में उक्त संशोधन की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी छबड़ा
जिला बारां (राज.)
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)